संख्या- 1799 /अड़तीस-7-2015-200नरेगा/2009

प्रेषक,

आकाश दीप,

विशेष सचिव,

उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सोशल आडिट,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 01 दिसम्बर , 2015

विषय- ग्राम पंचायतों में जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों द्वारा सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने की वर्तमान व्यवस्था (माडल) के स्थान पर नयी व्यवस्था को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 438/सो0आ0नि0-393/2015 दिनांक: 14-10-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1294/अड़तीस-7/2015-200 नरेगा/2009 दिनांक: 09-09-2015 में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

"उक्त नवीन व्यवस्था लागू होने पर भी पूर्व से कार्यरत जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर पूर्ववत नियत मानदेय एवं यात्रा व्यय के आधार पर संविदा पर दिनांक: 31-03-2016 तक बने रहेंगे।"

2- कृपया शासनादेश दिनांक- 09-09-2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(आकाश दीप)

विशेष सचिव।

संख्या- 1799(1)/अड़तीस-7-2015 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त/ जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)

उप सचिव।